ब्यावर

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आदेश ब्यावर/निर्णय 27/9/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती फूली पत्नी श्री बाबूलाल गुर्जर, नि० निम्बेडाकलां, तहसील रायपुर (पाली) बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर व अन्य

किस्म मुकदमा 75 राज० भू राजस्व अधि० नम्बर 357 सन् 2019 (ब्यावर)

2019/00357

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राकेश अरोड़ा, एड० अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
27/9/19	यह अपील श्री राकेश अरोड़ा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर के द्वारा दिनांक 07.07.2015 को प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पेश किया है, रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.07.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया है। रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.08.2019 को खारिज किया है । जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की है। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गयी। अपील मियाद बाहर पेश की गयी, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई । अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व अपील को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में ले लाया जाकर दिनांक 07.07.2015 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है जबक राजस्व लोक अदालत के तहत् प्रकरण का निस्तारण एक मात्र पक्षकारान में राजीनामे के आधार पर ही किया जा सकता है पत्रावली को लोक अदालत में लाया जाकर अदम पैरवी में निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई है जिसे पुनः बरामदगी हेतु प्रार्थना पत्र को पुन अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 23.07.2019 को निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई। उक्त दिनांक 23.07.2019 को ही पुनःबरामद किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आक्षेपित निर्णय दिनांक 14.08.2019 से उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने में त्रुटि की गई है जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्त किए जोन योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील तकनीकी आधारों पर न्यायालय स्वंय के द्वारा निर्मित आदेशिकाओं के विपरीत निरस्त किया गया है जिसे पुनःनम्बर पर लेकर गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निहित क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए पारित आदेश है जिसे न्यायालय हाजा में निहित धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निरस्त कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन रिजन्ड आदेश है जो की किसी भी रूप में आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायालय हाजा से	निरन्तर.....

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

ब्यावर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

357/2019/75 श्रीमती फूली V/s राज० सरकार व अन्य

तारीख पेशी	2019/00357 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राकेश अरोड़ा, एड०अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

अनुरोध है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 सपठित आदेश दिनांक 23.07.2019 व दिनांक 14.08.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु पत्रावली को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को नियत करने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाते है इसके पश्चात ही प्रकरण लोक अदालत में रखें जाते है। प्रकरण में अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया है तथा उसके पश्चात रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट की लापरवाही के कारण प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए आक्षेपित आदेश निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए पारित किये है जिसे न्यायालय हाजा में निहित धारा 75 राज.भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निरस्त कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः न्यायहित में अपील आंशिक स्वीकार अधीनस्थ न्यायायल का आदेश दिनांक 14.08.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण संख्या 37/2019 को पुनः नम्बर पर जिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय यथासंभव एक माह में करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

2/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर